—:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जसपाल सिंह दहिया —— प्रार्थी
2. श्री मदन लाल पारीक —— अप्रार्थी सं. 1 ता 4,6,7
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 9

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 25/03/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि प्रार्थी का उक्त अनवान का दावा श्री मान जी के न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी/वादी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में संयुक्त एंव खातेदारान है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम बड़ोपल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073– वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 है. बारानी 1 पुख्ता ऑलाटी कृषि भूमि में से प्रार्थी व प्रार्थी न. 8 के नाम 5.060 है. बारानी 1 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व प्रार्थी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

व अप्रार्थी न. 8 की दादी व अप्रार्थी न. 1 ता 7 की माता नसीबकौर के नाम 6.325 हे. बारानी 1 व प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 की दादी व अप्रार्थी न. 1 ता 7 की माता नसीबकौर के नाम व अप्रार्थी न. 1 ता 7 के नाम के नाम 1.265 हे. बारानी 1 कृषि भूमि व. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित उक्त कुल 12.650 हे. बारानी 1 कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 का दादा व अप्रार्थी नं. 1 ता 7 का पिता कृपालसिंह पुत्र फतासिंह जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को जरिये आवंटन आदेश श्रीमान आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्रकरण सं. 138/08 क्रमांक 1480 दिनांक 28.03.2008 को जारी शुदा जिसके जरिये उक्त 12.650 हे. कृषि भूमि उक्त फतासिंह पुत्र फतासिंह जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को पुख्ता आवंटन शुदा कृषि भूमि है। जिसकी तमाम किश्ते एक मुश्त दिनांक 29.03.2008 को 25000 रूपये (अक्षरे पचीस हजार रूपये) उक्त अॉलाटी कृपालसिंह पुत्र फतासिंह द्वारा खजाना राज में जमा करा दी थी जिसका सबूत सेल रजिस्टर की प्रति पेश है। जिससे उक्त 12.650 हे. कृषि भूमि एक मुश्त किश्तों की राशि दिनांक 29.03.2008 को जमा करवा दी जाने से उक्त कृषि भूमि दिनांक 29.03.2008 को ही उक्त 12.650 हे. बारानी 1 कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि की श्रेणी में नियमानुसार हो चुकी है। जिसकी एक दस्तावेज वसीयत नामा बतौर खातेदारी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार उक्त कृपालसिंह पुत्र फतासिंह दिनांक 07.12.2009 को वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम बड़ोपल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073– वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 हे. बारानी 1 पुख्ता ऑलाटी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 के नाम 5.060 हे. बारानी 1 कृषि भूमि की लिखित वसीयत व. हिस्सा बराबर बराबर की है। जो कि जरिये उप पंजियक पीलीबंगा द्वारा दिनांक 07.12.2009 की दस्तावेज पंजियन शुदा वसीयत नामा है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 का दादा उक्त कृपालसिंह पुत्र फतासिंह जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान की दिनांक 18.04.2010 को मृत्यू हो चुकी है जिससे उक्त दस्तावेज वसायतनामा के अनुसार प्रार्थीगण वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम बड़ोपल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073– वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 हे. बारानी 1 पुख्ता ऑलाटी कृषि भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 के नाम 5.060 हे. बारानी 1 कृषि भूमि के व. हिस्सा बराबर बराबर मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के व कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के मुताबिक हिन्दू विधि एंव कानूनन हकदार हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावे। उक्त 5.060 हे. बारानी 1 कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 के व. हिस्सा बराबर बराबर कब्जा काश्त मौका पर मुताबिक उक्त दस्तावेज वसीयत नामा के चली आ रही है।

यह कि प्रार्थी वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम बड़ोपल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073– वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 हे. बारानी 1 कृषि भूमि जो प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 का दादा व अप्रार्थी न. 1 ता 8 का पिता कृपालसिंह पुत्र फतासिंह जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा को दिनांक 28.03.2008 को पुख्ता आवंटन शुदा कृषि भूमि है। जिसकी किश्तों की तमाम राशि उक्त कृपालसिंह ने दिनांक 29.03.2008 को खजाना राज में जमा करवा दी थी जिससे तमाम किश्तों की राशि उक्त अलॉटी कृपालसिंह द्वारा दिनांक 29.03.2008 को ही एक मुश्त दिनांक जमा करवा दी थी जिससे उक्त 12.560 हे. बारानी 1 कृषि भूमि कानूनन 29.03.2008 को ही खातेदारी कृषि भूमि हो चुकी थी। जिससे प्रार्थी उक्त वर्णित वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम

3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073–वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 हैं. बारानी 1 कृषि भूमि को खातेदारी कृषि भूमि होने की घोषणा पाने का हकदार है। जो की जाकर उक्त 12.650 है. बारानी 1 कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज की जावे ।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के साथ साझा खाता में रखना नहीं चाहता है जिससे उक्त 12.650 है. बारानी 1 खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी एंव अप्रार्थी न. 8 को 5.0600 है. बारानी 1 खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 को ब. हिस्सा बराबर बराबर बंटवारा में दी जाकर अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जाने की घोषणा पाने का प्रार्थी हकदार है। जो की जावे एंव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

कि प्रार्थी के खिलाफ अप्रार्थीगण ने एक गुट बना रखा है जो प्रार्थी से रंजिश रखते हैं। व प्रार्थी व के उक्त हक व हिस्सा को मारना चाहते हैं व रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करना चाहते हैं जबकि प्रार्थी की उक्त अनुसार कृषि भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण नाजायज लालच वंश गलत फायदा उठाने पर आमादा है एंव प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय करने पर आमादा है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि पर काब्ज काश्त चला आ रहा हैं। जिसे प्रार्थी खाता विभाजन में पाने के व उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के कानूनन हकदार हैं। जबकि खाता विभाजन वीर करवाये बिना ही अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त कृषि भामि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने गलत मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। पृथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आश्य की निशेधाज्ञा पाने का हकदार है कि अप्रार्थीगण ता फैसला प्रार्थना पत्र एंव खाता विभाजन से पहले उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त तमाम कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तरीका से अन्तरण नहीं करें व रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी व खिलाफ अप्रार्थीगण के निम्न प्रकार से स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण ता फैसला दावा वाके तहसील पीलीबंगा का ग्राम बड़ोपल बारानी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073– वास्तविक सम्वत् 2070 का खाता सं. 553/386 का खसरा सं. 2709/1231 की कुल 12.650 है. बारानी 1 कृषि भूमि में से प्रार्थी व अप्रार्थी न. 8 के नाम दर्ज 5.060 है. ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य तीका से अन्तरण नहीं करें एंव रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखें। व कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी ना करें।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 से 4, 6, 7 की और से निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 को साबित करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है परन्तु प्रशनगत 12. 650 हैक. बारानी भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 8 के नाम 5.060 हैक. हिस्सा गलत दर्ज है। श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 के पक्ष में मुताबिक वसीयत

3

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिनांक 06.12.2012 को नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.01.2013 को नामान्तरण तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ के यहां अपील पेश की गई जो दिनांक 16.01.2014 को स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीलीबंगा के निर्णय को निरस्त करते हुए तथाकथित वसीयत को प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन मानते हुए नामान्तरण सं. 1425 को निरस्त कर दिया गया है। इसलिये यह भूमि पुनः कृपाल सिंह के नाम दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा इस आदेश की पालना नही करने के कारण यह भूमि अभी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी जसवीर सिंह व अप्रार्थी सं. 8 वकील सिंह के नाम गलत दर्ज है। इस भूमि में इनका कोई हक हिस्सा नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन कतई गलत, विधि विरूद्ध दर्ज है जो स्वीकार नही। प्रशनगत 45 बीघा भूमि जो पिता कृपाल सिंह की गैर खातेदारी भूमि थी। तहसीलदार पीलीबंगा ने वसीयत प्रकरण में यह भूमि जसवीर सिंह, वकील सिंह व नसीब कौर के नाम नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिनांक 06.12.2012 को दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 16.01.2013 को नामान्तरण सं. 1425 दर्ज किया गया। इस नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के यहां दो अपीले पेश की गई जो दिनांक 16.01.2014 को स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीलीबंगा के निर्णय को निरस्त करते हुए तथाकथित वसीयत को प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन मानते हुए नामान्तरण सं. 1425 को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश दिनांक 16.01.2014 के विरूद्ध प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 8 व नसीब कौर ने न्यायालय सम्भांगीय आयुक्त बीकानेर के यहां अपीले प्रस्तुत की जो दिनांक 18.08.2015 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 16.01.2014 अन्तिम हो चुका है और नामान्तरण सं. 1425 निरस्त हो चुका है। इस कारण इन आदेश की पालना में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 को प्रशनगत भूमि में कोई अधिकार नही रहे है। राजस्व अभिलेख में इनका नाम मात्र दर्ज होने के कारण इन्होने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि इनको उक्त सभी तथ्यों व निर्णयो की पूर्ण जानकारी थी। इसके बावजूद भी मनगढ़त तथ्य पेश करते हुए अदालत को गुमराह करने की नियत से यह विधि विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन कतई गलत है स्वीकार नही। प्रशनगत भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही है और न ही वह किसी प्रकार की घोषणा पाने का हकदार है। आवंटित व गैर खातेदारी भूमि की खातेदारी श्रीमान न्यायालय सहायक कलैक्टर देने में सक्षम नही है। इस गैर खातेदारी भूमि की कार्यवाही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जा सकती है। जिसमें विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए रिपोर्ट मंगवाकर मौका व कब्जा काश्त की स्थिति जानते हुए सनद खातेदारी जारी की जाती है। यह सनद खातेदारी जारी करने में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सक्षम है। इसलिये प्रार्थी इस न्यायालय से किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार की घोषणा पाने का हकदार नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन कतई गलत है स्वीकार नही । प्रशनगत भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 का कोई हक हिस्सा नही है और न ही इस भूमि के किसी अंश पर इनका कब्जा काश्त है। प्रशनगत 45 बीघा भूमि के कृपाल सिंह के समस्त वारीस पुत्र व पुत्रीयां ब.हि.ब. के हकदार है। नसीब कौर पत्नी कृपाल सिंह फौत हो चुकी है जिसका विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका है। प्रशनगत 5.060 हैक. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 से 7 ब.हि.ब. के हकदार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 का इसमें कोई हक हिस्सा नही है वे किसी प्रकार का खाता अलग करवाने व घोषणा पाने के हकदार नही है।

3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन मनगढत व मिथ्यारचित है स्वीकार नही। एवं अप्रार्थी सं. 5 व 8 आपस में एकराय है। इन तीनो को समस्त तथ्यो की एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशो की पूर्ण जानकारी है। इस भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 8 का कोई हक हिस्सा नही है। इन द्वारा करवाया गया विधि विरूद्ध नामान्तरण भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त हो चुका है। ये इस भूमि के सह खातेदार व काश्तकार नही है। ये इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी ने बिना हक हिस्सा के हम अप्रार्थीगण को विरासतन प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतू अनुतोष चाहा है जो विधि विरूद्ध होने के कारण प्रार्थी प्राप्त करने का हकदार ही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 व 8 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुद्धा है। स्टेट जवाब वाद पत्र में लिया जाना अपेक्षित है।

बहस उभय पक्ष पर भलीभांती मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया प्रकरण में श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ के यहां दो अपीले पेश की गई जो दिनांक 16.01.2014 को स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीलीबंगा के निर्णय को निरस्त करते हुए तथाकथित वसीयत को प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन मानते हुए नामान्तरण सं. 1425 को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश दिनांक 16.01.2014 के विरूद्ध प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 8 व नसीब कौर ने न्यायालय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के यहां अपीले प्रस्तुत की जो दिनांक 18.08.2015 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 16.01.2014 अन्तिम हो चुका है और नामान्तरण सं. 1425 निरस्त हो चुका है यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा के संबंध में राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त खाते के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है इस लिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मय अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 25/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी